

**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 1827**  
**13.02.2023 को उत्तर के लिए**

**वैश्विक मीथेन संकल्प**

**1827. श्री टी. आर. बालू :**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हाल ही में आयोजित ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक मीथेन संकल्प पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि 90 से अधिक देशों ने इस संकल्प की अभिपुष्टि की है;
- (ख) यदि हां, तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन हटाने संबंधी संकल्प को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और
- (ग) हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे ट्रैप करके मीथेन उत्सर्जन को रोकने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की साझा सहभागी जिम्मेदारी में वैश्विक समुदाय के साथ हमारे सहयोग और योगदान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई योजनाएं और रणनीतियां क्या हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**  
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (ग) भारत ने वर्ष 2020 के स्तरों से वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी को लक्षित करने के लिए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मीथेन संकल्प पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संबंधी अपनी कार्य योजनाओं के निर्धारण में अपने सम्प्रभुता अधिकार को ध्यान में रखते हुए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए आकलनों के अनुसार, भारत सरकार ने "मीथेन संबंधी वैश्विक संकल्प" पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्णय लिया। इसके मुख्य कारण और तत्संबंधी सूचना निम्नवत् है :

- i. भारत में मीथेन उत्सर्जनों के दो प्रधान स्रोत आंत्रिक (एंटेरिक) किण्वन और धान की खेती हैं। ये उत्सर्जन पूरे भारत में उन छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों के कृषि संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होते हैं जिनकी आजीविका उक्त संकल्प से खतरे में पड़ जाती है। इसके विपरीत, विकसित देशों में कृषि कार्य में औद्योगिक कृषि की प्रधानता रहती है।
- ii. खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, मीथेन उत्सर्जन 'उत्तरजीविता' से संबंधित उत्सर्जन हैं न कि विलासिता के कारण उत्पन्न उत्सर्जन। किसानों की आय को प्रभावित करने के अलावा, यह संकल्प कृषि उत्पादन, विशेष रूप से धान की उपज, को प्रभावित कर सकता है। भारत धान का सबसे बड़ा उत्पादक और

निर्यातक है। इसलिए, यह संकल्प भारत के व्यापार और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

- iii. भारत की वर्ष 2020 से पूर्व की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के अनुसार कृषि को उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया था।
- iv. जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्टों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रधान गैस CO<sub>2</sub> है जिसका प्रभाव 100-1000 वर्षों तक रहता है। इस संकल्प से CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी लाने के बजाय मीथेन की कमी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसका प्रभाव मात्र 12 वर्षों तक रहता है।
- v. साथ ही, भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, जो आबादी के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए आजीविका स्रोत है। भारतीय पशुधन का वैश्विक आंत्रिक मीथेन उत्सर्जन में बहुत कम योगदान है, क्योंकि भारतीय पशुधन द्वारा काफी मात्रा में कृषि जनित उप-उत्पादों तथा गैर-पारम्परिक आहार सामग्री का उपयोग किया जाता है।
- vi. भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौते का एक पक्षकार है। यह संकल्प यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के दायरे से बाहर है।

पेरिस समझौते के तहत, भारत ने अपना राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किया है, जिसमें क्षेत्र या गैस विशिष्ट उत्सर्जनों में कमी के लक्ष्य शामिल नहीं हैं। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने कार्यकलाप निर्धारित करने और उन्हें कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। मीथेन गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए चल रहे उपाय इस प्रकार हैं:

- i. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) में चावल की खेती में मीथेन कटौती पद्धतियों सहित जलवायु अनुकूलन पद्धतियां शामिल हैं।
- ii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूलन कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना के तहत चावल से मीथेन की उपशमन संभावना के साथ कई तकनीकों का विकास किया है, जैसे: चावल वृद्धि के लिए प्रणाली - इस तकनीक से परंपरागत रोपित चावलों की तुलना में 22 से 35% कम पानी के साथ 36 से 49% तक चावल पैदावार वृद्धि की संभावना है; धान की सीधी बुआई - इस प्रणाली से मीथेन उत्सर्जनों में कमी आती है क्योंकि इसमें नर्सरी लगाना, पडलिंग और पौधों की रोपाई शामिल नहीं है। रोपित धान की खेती के विपरीत इस प्रणाली में खड़े पानी का अनुरक्षण नहीं किया जाता है; और फसल विविधीकरण कार्यक्रम - धान की खेती को वैकल्पिक फसलों जैसे दालें, तिलहन, मक्का, कपास और कृषिवानिकी में परिवर्तन करने के कारण मीथेन उत्सर्जन से बचा जाता है।
- iii. जलवायु अनुकूलन प्रथाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- iv. पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचडी) राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नस्ल सुधार और संतुलित राशन शामिल है। बेहतर गुणवत्ता वाले संतुलित राशन पशुओं को खिलाने से पशुओं से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल रही है।

- v. भारत सरकार, पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत हरे चारे के उत्पादन, परिरक्षित चारा बनाने, फूस का बनाया हुआ चारा काटने और कुल मिश्रित राशन को बढ़ावा देती है।
- vi. गांवों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के अलावा, 'गोबरधन' (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) स्कीम और नए राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से मवेशियों के अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोबरधन योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट से पुनःप्राप्ति और अपशिष्ट को संसाधनों में बदलने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए सहयोग करती है।

\*\*\*\*\*